भारत 5 रु. Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
भारत 5 रु. Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
कोर्ट फी Rs.20 FEE INDIA TWENTY RUPEES

न्यायालय मान0राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर

निग-1248-PBR-16

श्री ~~जी.पी. नायक एड.~~ द्वारा आज दि. 20.4.16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण कमांक -पीबीआर/2016 निगरानी

1- राजेश पुत्र स्व0 सोबरन सिंह

2- अमृत लाल पुत्र स्व0 सोबरन सिंह

3- रामहेत पुत्र स्व0 सोबरन सिंह

4- श्रीमती रामदुलारी पत्नि स्व0सोबरन सिंह

सभी कृषकगण ग्राम नीम चन्दोहा

तहसील व जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर ग्वालियर ---अनावेदक

शाखा प्रभारी (रा.मं.)
कार्यालय महाधिवक्ता, म.प्र.

(निगरानी अंतर्गत धारा 50 , मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता,1959 - अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 334/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 05 अप्रेल, 2016 के विरुद्ध)

कृ0पृ030--2

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 1248–पीबीआर/2016 निगरानी जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि० के हस्ता.
21-4-16	श्री जी0पी0नायक अभिभाषक व्दारा यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 334/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 5–4–2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक एंव शासन के पेनल लायर के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर वस्तुस्थिति यह है कि तहसीलदार, तहसील गिर्द जिला ग्वालियर ने मिसल नंबर 228 X 58/1958 में हुक्म तारीख 22–6–1958 से ग्राम नीम चंदौहा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1/1 रकबा 8 वीघा 4 विसवा का सोबरन सिंह पुत्र महाराज सिंह जाति किरार निवासी ग्राम नीम चंदोहा तहसील गिर्द को भूमिस्वामी स्वत्व पर पट्टा प्रदान किया एंव खसरा संबत 2014–15 में पट्टे की प्रविष्टि अंकित हुई। यह प्रविष्टि निरन्तर खसरा सन् 1980 तक चली आई, परन्तु सन् 1980 के वाद के खसरे में बिना किसी राजस्व अधिकारी का आदेश हुये भूमिस्वामी के कालम खाना क्रमांक 2 में बन तथा 3 में शासकीय एंव खसरे के खाना नंबर 12 में नजूल भूमि पटवारी ने अंकित कर दिया। पट्टाग्रहीता भूमिस्वामी सोबरन सिंह पुत्र महाराज सिंह जाति किरार की मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसान (आवेदकगण) ने पटवारी से नामान्तरण की मांग की , तब	

पटवारी ने उन्हें बताया कि भूमि शासकीय दर्ज है। तदुपरांत उन्होंने तहसीलदार ग्वालियर के समक्ष खसरा प्रविष्टि दुरूस्त करते हुये मृत पिता/पति के स्थान पर वारिसान का नाम दर्ज किये जाने की प्रार्थना की। तहसीलदार ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 1/2014–15 अ–6–अ पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 9–4–15 पारित करके आवेदकगण का आवेदन निरस्त कर दिया कि संहिता की धारा 116 के अंतर्गत आवेदन देने हेतु समयसीमा एक वर्ष है। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी लश्कर ग्वालियर के समक्ष अपील करने पर प्रकरण क्रमांक 34/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 25–6–15 से अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील करने पर प्रकरण क्रमांक 334/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 05 अप्रेल, 2016 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत खसरों की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि तहसीलदार, तहसील गिर्द जिला ग्वालियर ने मिसल नंबर 228 X 58/1958 में हुक्म तारीख 22–6–1958 से ग्राम नीम चंदौहा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1/1 रकबा 8 वीघा 4 विसवा का सोबरन सिंह पुत्र महाराज सिंह जाति किरार निवासी ग्राम नीम चंदोहा तहसील गिर्द को भूमिस्वामी स्वत्व पर पटटा प्रदान किया है एंव खसरा संबत 2014–15 में इस आदेश की (पटटे) की प्रविष्टि अंकित हुई है। यह प्रविष्टि निरन्तर खसरा सन् 1980 तक चली आई है। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग के आदेश दिनांक 5–4–16 के पद 8 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने इस पद में इस प्रकार निष्कर्ष निकाला है :–

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 1248–पीबीआर/2016 निगरानी जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि० के हस्ता.
	" सोबरन सिंह को पटटा दिये जाने की प्रविष्टि खसरा संबत 2014 लगायत 2020 में की गई है और यह प्रविष्टि निरन्तर वर्ष 1980 तक यथावत् रही है.....अपीलार्थीगण व्दारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपने कथन अंकित कराये गये हैं एंव साक्षियों के कथन अंकित कराये गये हैं प्रकरण में संलग्न साक्षियों के कथनों में आवेदकगण निरन्तर काबिज होने का कथन किया गया है। तहसील न्यायालय के व्दारा अधिकारिता रहित प्रविष्टि के सम्बन्ध में की गई आपत्ति की जॉच नहीं की गई है और न ही अपने आदेश में आपत्तियों का निराकरण किया गया है। " जब अपर आयुक्त के समक्ष यह स्पष्ट हो गया कि तहसील न्यायालय ने न्यायिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है तथा लेखी दस्तावेजों की अनदेखी की है एंव अपर आयुक्त यह स्वीकार कर रहे हैं कि खसरा संबत 2014 लगायत 2020 में सोबरन सिंह का नाम वादग्रस्त भूमि पर 1980 तक निरन्तर भूमिस्वामी के रूप में अंकित रहा है उन्होंने भी दस्तावेजों की प्रमाणिकता के विपरीत जाकर निर्णय लेते हुये प्रकरण पुनः जॉच हेतु प्रत्यावर्तित करने में भूल की है जिसके कारण तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। 5/ अपर आयुक्त व्दारा निर्णय दिनांक 5–4–16 के पद 9 में तहसील न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश दस्तावेजों में पाई गई स्थिति के विपरीत होना इस प्रकार ठहराया है :– **" अपीलार्थीगण के पति/पिता सोबरन सिंह संबत 2014 से विवादित भूमि पर काविज रहे हैं संबत 2015 में प्र.क्र. 228 X 58/1958 में पारित आदेश दिनांक 22–6–1958 से मृतक सोबरन सिंह को पक्के कृषक के स्वत्वप्रदान किये गये तथा संबत**	

2020 में सोवरनसिंह का नाम भूमिस्वामी के रूप दर्ज किया गया है। तत्पश्चात् निरंतर संबत 2034 तक मृतक सोवरन सिंह का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज रहा है। विचारण न्यायालय व्दारा बिना सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान किये भूमि शासकीय दर्ज कर दी गई है 2011 राजस्व निर्णय 347 चन्द्रिका प्रसाद तिवारी विरूद्व म0प्र0राज्य में मान0उच्च न्यायालय व्दारा अवधारित किया गया है कि धारा 117 खसरा के टिप्पणी के स्तम्भ में किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना कब्जा की प्रविष्टियॉ – उपधारणा यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि कब्जा विधिक है .....उनका नाम किस सक्षम अधिकारी के प्र0क्र0 व आदेश दिनांक से विलोपित किया जाकर विवादित भूमि बन, नजूल दर्ज की गई है, के व्यौर या अभिलेख का उल्लेख उपलब्ध न होने से अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष न्यायोचित प्रतीत नहीं होते हैं।

जब अपर आयुक्त उपरोक्तानुसार स्वीकार कर रहे हैं कि बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के मृतक सोवरन सिंह का नाम हलका पटवारी ने नया खसरा बनाते समय विलोपित कर दिया एंव पटवारी ने स्वस्तर से भूमि बन तथा नजूल की दर्ज कर दी है 1989 रा0नि0 58, 1999 रा.नि. 77 (फुल बेंच उच्च न्यायालय) ए0आई0आर0 1996 सु0को0 675, ए0आई0आर0 1972 सु0को0 2224 " कृषक को पक्का स्वत्व तथा भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो गये यह स्वत्व 1980 तक आवेदक के पास बकरार रहे 24 वर्ष वाद ऐसे कृषक के अधिकार छीने नहीं जा सकते। स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने न्यायदान न करते हुये एंव अपील स्वीकार न करते हुये प्रकरण तहसील न्यायालय की ओर पुनः जॉच/सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित करने में भूल की है और इन्हीं कारणों से तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश दोषपूर्ण होना परिलिक्षित हैं।

6/ तहसीलदार ग्वालियर ने आदेश दिनांक 9–4–15 से आवेदकगण का आवेदन इस आधार पर निरस्त किया है कि संहिता की धारा 116 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन एक वर्ष की समय–सीमा से वाधित है और अनुविभागीय अधिकारी लश्कर ग्वालियर ने आदेश दिनांक 25–6–15 से तहसीलदार

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 1248–पीबीआर/2016 निगरानी जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि० के हस्ता.
	के आदेश को उचित होना माना है, जबकि अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने आदेश दिनांक 5–4–16 के पद 9 के उप पद में इस प्रकार निष्कर्ष (Finding) दी है :– " **1995 राजस्व निर्णय 366 कुण्ठीवाई तथा अन्य विरूद्ध ग्वालियर एग्रीकल्चर कंपनी डबरा में मान.राजस्व मण्डल व्दारा यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 115, 116 तथा 32 कब्जे की प्रविष्टि हेतु आवेदन धारा–116 के उपबंध आकर्षित नहीं – इस उपबंध के अधीन नवीन प्रविष्टि नहीं की जा सकती – मामला गलत शीर्ष में दर्ज तथ्य नहीं बदलते–ऐसी तकनीकी त्रृटि के आधार पर पक्षकार को सारभून न्याय से बंचित नहीं किया जा सकता। अंतर्निहित शक्तियों के अधीन आदेश पारित किया जा सकता है।** " अपर आयुक्त निर्णय में उपरोक्तानुसार निष्कर्ष निकालते हुये अपील प्रकरण का आदेश दिनांक 5–4–16 से निराकरण कर रहे हैं परन्तु उनके व्दारा सारभूत न्याय न करते हुये प्रकरण का तहसील स्तर पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित करना न्याय की दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता **1999 राजस्व निर्णय 329 एंव 1992 राजस्व निर्णय 26 के न्यायियक दृष्टांत हैं कि " संहिता की धारा 115 में भूमिस्वामी के स्वत्व के इन्द्राज व विधि सम्मत आदेश के बिना नहीं काटा जा सकता।"** परन्तु हलका पटवारी व्दारा नवीन खसरा बनाते समय वर्ष 1981 के खसरे से सोवरन सिंह का नाम भूमिस्वामी के कालम से विलोपित कर भूमि बन एंव नजूल की अंकित कर देना अधिकारितावीहीन कार्यवाही है और ऐसी कार्यवाही विधि के प्रभाव से शून्यवत् है और तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष इस तथ्य के उजागर होने के वाद भी खातेदार के वारिसानों को न्याय के लिये भटकाना उचित नहीं	

ठहराया जा सकता, जिसके कारण तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह भी पाया गया है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार ग्वालियर ने बन विभाग को पत्र जारी कर वस्तुस्थिति की जानकारी चाही है। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 5–4–16 के पद 12 में उल्लेखित अनुसार बन मण्डल अधिकारी ग्वालियर के पत्र दिनांक 21–3–1993 में उल्लेखित है कि ग्राम नीम चन्दोहा के सर्वे क्रमांक 1/1 रकबा 1.714 है. बन सीमा से वाहर होकर बन सीमा से लगा हुआ है। स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि बन सीमा के वाहर एंव बन विभाग की नहीं है यदि भूमि बन विभाग की होती, तहसीलदार, तहसील गिर्द जिला ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 228 X 58/1958 में आदेश 22–6–1958 से बन भूमि का पटटा नहीं दिया गया होता। विचार योग्य है कि जब प्रकरण में आई साक्ष्य अनुसार वर्ष 1958 से वाद विचारित भूमि पर सोवरन सिंह उसकी मृत्यु के वाद उसके वारिस निरन्तर खेती करते आ रहे हैं यदि भूमि बन विभाग की होती, निश्चित है कि वर्ष 1958 से 2016 अर्थात 58 वर्ष की लम्बी अवधि तक बन विभाग कृषकगण को कभी भी खेती नहीं करने देता। स्पष्ट है कि बन विभाग के नाम की प्रविष्टि पटवारी व्दारा की गई अवैध प्रविष्टि प्रमाणित है, जिसके कारण अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 5–4–16 के पद 10 में मृतक सोवरन सिंह के वारिसान आवेदकगण को वादग्रस्त भूमि पर नामान्तरण कराने का हकदार माना है एंव आदेश के इस पद में निष्कर्ष दिया है कि नामान्तरण कार्यवाही अभिलेख अद्वतन करने की प्रकिया है इससे स्वत्वों का अर्जन नहीं होता है। विद्वान अपर आयुक्त व्दारा आदेश में इस प्रकार के निष्कर्ष निकालने के वाद भी न्याय के अनुरूप अपील स्वीकार न करते हुये पक्षकारों को न्याय पाने

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 1248–पीबीआर/2016 निगरानी जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि० के हस्ता.
	के लिये पुनः तहसील न्यायालय में भेजना न्यायदान की श्रेणी में नहीं है जिसके कारण तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। 8/ तहसील न्यायालय व्दारा दायरा पंजी वर्ष 1958 की जारी प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार गिर्द का प्रकरण कमांक 228 X 58/1958 दायरे के सरल कमांक 228 पर सोवरन सिंह के नाम पर दर्ज है जो प्रमाणित करता है कि इस प्रकरण से सोवरन सिंह के हित में पटटा वास्तविक रूप से जारी हुआ है जिसके कारण पटटेदार के वारिसान को उनके अधिकार से बंचित नहीं किया जा सकता। 9/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 334/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 5–4–16 एंव अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 34/14–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 25–6–15 तथा तहसीलदार ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 1/14–15 अ–6–अ में पारित आदेश दिनांक 9–4–15 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा निगरानी स्वीकार की जाकर मृतक सोवरन सिंह के स्थान पर उसके विधिक वारिस आवेदकगण का समान भाग पर नामांत्रण स्वीकार कर ग्राम नीम चन्दोहा के सर्वे कमांक 1/1 रकबा 1.714 है. पर शासकीय अभिलेख में अमल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। सदस्य	